न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 81/2017

डूंगरराम पुत्र श्री बरतीराम जाति मेघवाल साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल साकिन 1 एम एल तहसील घड़साना व जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार राजस्व घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री अनिल गखड़
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र गोदारा

निर्णय दिनांकः 21.12.2017

1. यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार (भू.रा.) घड़साना के आदेश दिनांक 17.05.2017 के विरूद्व एवं उनके द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 192 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि चक 1 पी.एम. 1 तहसील घड़साना का मुरब्बा नं. 232/14 की कुल 3.162 है0 कृषि भूमि अपीलान्ट के नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि अपीलान्ट ने जरिये बैयनामा 08.04.2015 के द्वारा खरीद की थी। उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में अपीलान्ट की ओर से जलन्धर सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति मजहबी साकिन 1 पी.एम. ने एक फर्जी आम मुख्तयार नामा दिनांक 08.04.2015 को तैयार करवाकर उक्त कृषि भूमि का रजिस्टर्ड नामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से पंजीबद्व करवा दिया। इसी आधार पर जरिये इंतकाल संख्या 192 दिनांक 11.05.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत, 5 पी.एस.डी. पंचायत समिति, घड़साना द्वारा स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण ईन्तकाल संख्या 192 को दिनांक 11.05.2017 को अस्वीकृत किया गया है। परन्तु नायब तहसीलदार, रावला द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 192 को दिनांक 17.05.17 को स्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश कतई गलत एवं विधि विरूद्व है, क्योंकि नायब तहसीलदार, रावला द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी उल्लेख किया कि अपील में जैर भूमि के संबंध में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपीलाधीन इंतकाल के मुख पृष्ठ पर अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का भी स्पष्टतया अंकन है एवं आलोच्य आदेश पारित के रोज उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभावी था। इन परिस्थितियों में रेस्पोडेन्ट के पास यह विकल्प था कि वह प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देता। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसके पक्ष में दिनांक 08.04.2015 को बैयनामा पंजीबद्व हुआ था। उक्त बैयनामा में कृष्ण कुमार पुत्र मनफूल जाति जाट गवाह है, जिसने कूट रचना में सहयोग कर इसी दिनांक को जलन्धर सिंह के नाम से फर्जी मुख्तयार नामा तैयार करवाया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से पंर्जाबद्व हुआ। पंजीबद्व हुआ मुख्तयार नामा दिनांक 03.05.2017 में रायसिंह पुत्र सुरजाराम गवाह है, जो कि दिनांक 08.04.2015 में अपीलान्ट की उपस्थिति में तहसील में होने का लाभ उठाकर उसी रोज मुख्तयारनामा तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 01.05.2017 को पंजीयन करवाया, जबकि अपीलान्ट ने जलन्धर सिंह के नाम के व्यक्ति को अपना मुख्तयार आम कभी भी नियुक्त नहीं किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व मौका पर कब्जा संबंधी कोई जांच नहीं की गई। जबकि मौका पर कब्जा अपीलान्ट का है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने का आधार यह बताया कि उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के प्रकरण संख्या 18/2015 तथा 46/2015 निरस्त हो चुका है। जबकि 17.05.2017 को अपीलान्ट का एक वाद पत्र अनवानी डूंगरराम बनाम मांगीलाल आदि दर्ज रजिस्टर हो चुका था, जिसमें दिनांक 17.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने विवादित भूमि के संबंध में अंतरिम अस्थायी निषेध आज्ञा पारित कर दी थी। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नायब तहसीलदार, रावला द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश एक पक्षीय है तथा बिना कोई जांच किये पारित किया है, जो भू–राजस्व अधिनियम नैसर्गिक नियमों के विरूद्व है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य इंतकाल आदेश दिनांक 17.05.2017 को निरस्त करवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान जरिये वकील उपस्थित आये। वकुलाये बहस सुनी गयी।

3. विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 को चुनौती दी गयी है, जिसके आधार पर ईन्तकाल संख्या 192 नायब तहसीलदार, घड़साना के द्वारा स्वीकृत किया। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र ग्राम पंचायत का था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्र से बाहर जाकर इंतकाल स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित के समय माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन प्रभावशाली था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व विधि अनुसार प्रक्रिया को अपनाया नहीं, इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपील में उल्लेख किये गये दावा खारिज हो चुका था, जिसका विवरण अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल के पुश्त से अंकित किया है। राजस्व शिविरों में नायब तहसीलदार को ऐसे आदेश पारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपील में वर्णित वाद का निस्तारण कर दिया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि संगत है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

4. हमनें अपील में वर्णित बिन्दुओं एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 192 पटवारी हल्का द्वारा जैर वादों का अंकन दिनांक 11.05.2017 को पंचायत 5 पी.एस.डी. में प्रस्तुत किया गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा की गयी रिपोर्ट में इंतकाल खारिज करने की अनुशंसा की है। उसी आधार पर क्षेत्राधिकार के अनुरूप सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा इंताकल संख्या 192 दिनांक 11.05.2017 को अस्वीकृत कर दिया। नायब तहसीलदार, घड़साना के दिनांक 17.05.2017 को इसी इंतकाल को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के वादों के निर्ण्ये के आधार पर स्वीकृत किया है जबकि अपील में जो भूमि पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का स्थगन आदेश जारी था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचिख्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का अवसर नहीं देकर एक पक्षीय आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जल्दबाजी एवं बिना जांच एवं संबंधित पक्षकारों को बिना सुने पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कृत्य विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 एवं जैर इंतकाल संख्या 192 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, घड़साना को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है, कि संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति मय रिकॉर्ड तहसीलदार, घड़साना को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.12.2017.

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner